भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1409

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल शोधन हेतु प्रौद्योगिकी

1409. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल का संदूषण बढ़ रहा है और नवीनतम प्रौद्योगिकीयों की कमी के कारण शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पुरानी जल शोधन प्रौद्योगिकी को सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के माध्यम से अद्यतन करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बाह्य एजेंसियों/स्रोतों से प्रौद्योगिकीय/वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार पेयजल स्रोतों में अनुमेय सीमा से अधिक संदूषकों वाली बसावटों की संख्या में कमी आ रही है। 01.04.2019 से गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संदूषकों-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में 3.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल जल की आपूर्ति प्रदान की जा सके। जेजेएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'जल' राज्य का विषय होने के नाते, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का दायित्व है। परिवारों को नल जल आपूर्ति

मुहैया कराने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाते समय गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य, परिवारों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी के शोधन के लिए उपयुक्त जल शोधन प्रौद्योगिकियों का निर्धारण कर सकते हैं।

जल जीवन मिशन के लिए, इस विभाग ने बाहरी एजेंसियों से कोई सहायता नहीं मांगी है। तथापि, प्रौद्योगिकीय समाधानों के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जो सरकारी/स्वायत्त/निजी संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न नवाचारों और जल संबंधी प्रौद्योगिकियों की जांच और सिफारिश करती है, जिनका उपयोग प्रत्येक परिवार को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में किया जा सकता है।

*****

अनुबंध

दिनांक 15.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1409 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संदूषकों-वार संख्या

(09.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

संदूषक	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या					
	01.04.2019	01.04.2020	01.04.2021	01.04.2022	09.12.2022	सीडब्ल्यूपीपी के तहत कवर
आर्सेनिक	14,020	4,568	1,717	800	760	559
फ्लोराइड	7,996	5,796	1,021	670	655	446
आयरन	18,599	32,134	17,220	14,205	13,716	-
लवणता	13,319	10,455	10,038	9,942	9,938	-
नाइट्रेट	1,443	907	521	517	515	-
भारी घातु	2,162	306	187	108	107	-
कुल	57,539	54,166	30,704	26,242	25,691	1005

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस